


रवि मित्रल, भा.प्र.से.  
प्रधान सचिव



545


फोन : 2215805  
फैक्स : 2217694

पत्रांक..... 9/सी0ए0जी0-08/2013-

दिनांक..... 15-9-16

प्रिय श्री केशव  
कृषि विभाग  
(R-5)

विषय :- सी0 ए0 जी0 की वर्ष 2007-08 तक की लम्बित कंडिकाओं का अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन अंतिम तिथि दिनांक 14.10.2016 तक उपलब्ध कराने के संबंध में।



उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा का पत्र सं0-1507 दिनांक 16.09.2013 में निहित निदेश के आलोक में वर्ष 2007-08 तक की सी.ए.जी. की लंबित कंडिकाओं (गर्बे एवं दुर्विनियोजन को छोड़कर) का विभाग से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदनों की 19 सप्ताहों के लिए विभाग द्वारा छः चरणों में की जा चुकी है, जिसकी कार्यवाही सभी संबंधित विभागों को उपलब्ध करा दी गई है। परंतु, कई लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त अथवा अपूर्ण रहने के कारण उनपर मंतव्य गठित नहीं किया जा सका है। लोक लेखा समिति की दिनांक 06.09.2015 एवं 07.01.2016 की बैठकों में अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण इसे काफी गम्भीरता से लिया गया। पुनः दिनांक-08.09.2016 को लोक लेखा समिति (मुख्य) की बैठक में इस प्रसांगिक विषय पर चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत यह तय हुआ कि वर्ष 2007-08 तक की सी0 ए0 जी0 की लंबित कंडिकाओं पर एक समय-सीमा के अंदर निर्णय लिया जाय। अतएव वर्ष 2007-08 तक की लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभागों को दिनांक-14.10.2016 तक एक अंतिम मौका दिया जा रहा है। अगर अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण लंबित संयुक्त कंडिकाओं के अनुपालन प्रतिवेदन तैयार करने में विभाग असमर्थ हो तो इस संदर्भ में स्वीकार योग्य औचित्य को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

अतः अनुरोध है कि वर्ष 2007-08 तक की अप्राप्त/अपूर्ण लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 14.10.2016 तक निश्चित रूप से लोक लेखा समिति को भेजते हुए उसकी प्रति महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

सादर साधते

सेवा में,

श्री सुधीर कुमार,  
प्रधान सचिव, कृषि विभाग,  
बिहार, पटना।

भवदीय

Amiral  
(रवि मित्रल)

5.9.16 →

बिहार सरकार  
कृषि विभाग

ज्ञापांक-3/कृ.वि.(सी.ए.जी.प्रति.)स्था.-02/14 4172/कृ., पटना, दिनांक 28/9/2016

**प्रतिलिपि** :- कृषि निदेशक/निदेशक, उद्यान/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना एवं सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि लंबित संयुक्त कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र भेजने की कृपा की जाय ताकि इसे ससमय लोक लेखा समिति को भेजा जा सके।

(रामजी सिंह)

(रामजी सिंह)

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-3/कृ.वि.(सी.ए.जी.प्रति.)स्था.-02/14 4172/कृ., पटना, दिनांक 28/9/2016

**प्रतिलिपि** :- आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(रामजी सिंह)

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।